



Neutral Citation No. - 2026:AHC:128006

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 19520/2026

अंकित यादव उर्फ लवकुश यादव

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता: सुजीत कुमार यादव

प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता: जी.ए., ओम प्रकाश उपाध्याय

न्यायालय संख्या - 45

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के साथ-साथ उत्तर प्रदेश राज्य के लिए विद्वान एजीए को सुना और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
2. पुनः पुकारने पर भी प्रथम सूचनादाता की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ।
3. यह तत्काल जमानत आवेदन थाना भदोही जिला भदोही में मामला अपराध संख्या 165/2026 में उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) के तहत में आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए तत्काल जमानत याचिका दायर की गई है।
4. आवेदक के लिए विद्वान अधिवक्ता की दलीलें यह हैं कि आवेदक एक निर्दोष व्यक्ति है और उसे मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। आवेदक की ओर से यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि आवेदक के खिलाफ गैंग चार्ट में एकान्त मामला दिखाया गया है और उस मामले में, आवेदक जमानत पर है। गैंग चार्ट में दिखाए गए उक्त मामले के अलावा, आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि सह-अभियुक्त, अर्थात् मेही लाल यादव को इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ द्वारा 2026 के आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 17895 में पारित दिनांक 16.06.2026 के आदेश द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

5. उन्होंने आगे कहा कि एफआईआर में, मुद्दे में, सार्वजनिक व्यवस्था को परेशान करने के संबंध में आरोप और आवेदक के खिलाफ अनुचित अस्थायी, आर्थिक, सामग्री या समान प्रकृति के अन्य लाभ प्राप्त करने के संबंध में भी अस्पष्ट हैं। इसके अलावा, कहा गया है कि अधिनियम की धारा 2 के तहत प्रदान किए गए "गिरोह" और "गैंगस्टर" शब्द की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले अभियुक्त की ओर से किसी कार्य या चूक से संबंधित आरोप के अभाव में, कोई भी प्राथमिकी सुनवाई योग्य नहीं है। वर्तमान मामले में, एफआईआर लंबित आपराधिक मामलों पर आधारित है, न कि किसी नए आरोप या तथ्य की खोज पर जो समाज पर गंभीर प्रतिबिंब है, जिसके लिए अधिनियम अधिनियमित किया गया था।

6. उन्होंने यह भी कहा कि अधिनियम के प्रावधानों का उपयोग प्रतिशोध लेने या नागरिकों को परेशान करने या डराने या राजनीतिक या अन्य मोर्चों पर हिसाब चुकता करने के लिए एक हथियार के रूप में नहीं किया जा सकता है।

7. उन्होंने कहा कि इस मामले में, ऐसा प्रतीत होता है कि जिला प्रशासन ने अच्छा काम दिखाने या प्रशंसा हासिल करने या सरकार या सत्तारूढ़ दल के उच्च अधिकारियों से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया है, जो अनुचित है।

8. उन्होंने यह भी कहा कि मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए, जैसा कि ऊपर कहा गया है, यह मानने के लिए उचित आधार है कि आवेदक गैंगस्टर अधिनियम के तहत अपराध का दोषी नहीं है और वह जमानत पर रहते हुए अपराध नहीं करेगा। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि जमानत पर रहते हुए आवेदक कोई अपराध/अपराध नहीं करेगा और न ही सबूतों से छेड़छाड़ करने या गवाहों को किसी भी तरह से प्रभावित करने की कोशिश करेगा।

9. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि आवेदक इस मामले में 13.04.2026 से जेल में बंद है और इस बात की कोई आशंका नहीं है कि, यदि आवेदक को जमानत की सुविधा दी जाती है, तो वह कानून के पाठ्यक्रम से भाग सकता है या वह विचारण न्यायालय के समक्ष पेश नहीं होगा, साथ ही रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य/सामग्री यह अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं है कि आवेदक गिरोह चार्ट में उल्लिखित अपराधिक मामले में दोषी है।

10. इन परिस्थितियों में, आवेदक जमानत का हकदार है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

11. विद्वान एजीए ने जमानत देने के लिए प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन निष्पक्ष रूप से स्वीकार किया है कि गिरोह चार्ट में उल्लिखित मामले में, आवेदक जमानत पर है। वह इस बात पर भी विवाद नहीं कर सके कि उपरोक्त सह-आरोपी व्यक्ति को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है। हालांकि, उन्होंने आगे कहा कि आवेदक एक गिरोह का सदस्य है और अपराध करने की आदत है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह फिर से इसी तरह की असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होगा और अभियोजन पक्ष के गवाहों को धमकी और धमकी देकर जमानत का दुरुपयोग करेगा।

12. उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) इस प्रकार है: -

"(4) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन दंडनीय अपराध का अभियुक्त कोई व्यक्ति, यदि हिरासत में है, तो जमानत पर या अपने स्वयं के मुचलके पर रिहा नहीं किया जाएगा, जब तक कि-

(क) लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के लिए आवेदन का विरोध करने का अवसर दिया गया है, और

(ख) जहां लोक अभियोजक आवेदन का विरोध करता है, न्यायालय संतुष्ट है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि वह इस तरह के अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

13. उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) के आलोक में, मैंने अभिलेख पर उपलब्ध भौतिक साक्ष्य, अपराध की प्रकृति जिसका उल्लेख गैंग-चार्ट में किया गया है और अभियुक्त-आवेदक की आपराधिक पृष्ठभूमि पर विचार किया है।

14. **भारत संघ बनाम केए नजीब, (2021) 3 एससीसी 713** के मामले में, यह धारित किया गया था कि कई निर्णयों में कि संविधान के भाग III द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता न केवल उचित प्रक्रिया और निष्पक्षता को इसके सुरक्षात्मक दायरे में कवर करेगी, बल्कि न्याय तक पहुंच और त्वरित सुनवाई भी शामिल करेगी। उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन कैदियों का प्रतिनिधित्व करने वाली विधिक सहायता समिति बनाम विचाराधीन कैदियों का प्रतिनिधित्व करने वाली

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विधिक सहायता समिति ने मामले में यह निर्णय लिया है। भारत सरकार ने यह व्यवस्था दी थी कि विचारणाधीन कैदियों को विचारण लंबित रहने तक अनिश्चित काल तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। आदर्श रूप से, किसी भी व्यक्ति को अपने कृत्यों के प्रतिकूल परिणाम भुगतने नहीं चाहिए जब तक कि इसे एक तटस्थ मध्यस्थ के सामने स्थापित नहीं किया जाता है। हालांकि, वास्तविक जीवन की व्यावहारिकता के कारण जहां एक प्रभावी परीक्षण को सुरक्षित किया जा सकता है और एक संभावित अपराधी को बड़े पैमाने पर लंबित मुकदमे में छोड़ दिया जाता है, तो समाज के लिए जोखिम को कम करने के लिए, अदालतों को यह तय करने का काम सौंपा जाता है कि किसी व्यक्ति को मुकदमे के लंबित रहने तक रिहा किया जाना चाहिए या नहीं। एक बार जब यह स्पष्ट हो जाता है कि समय पर सुनवाई संभव नहीं होगी और अभियुक्त को एक महत्वपूर्ण अवधि के लिए कैद का सामना करना पड़ा है, तो अदालतें आमतौर पर उन्हें जमानत पर बढ़ाने के लिए बाध्य होंगी।

15. ऊपर उल्लिखित पक्षों की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के बड़े जनादेश और **दाताराम सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य (2018) 3 एससीसी 22 और सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम सीबीआई और अन्य, 2021 के एस.एल.पी. (सीआरएल) संख्या 5191** के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में पारित और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना जमानत आवेदन की अनुमति है।

16. उपर्युक्त मामले में अपराध के आरोपी **अंकित यादव उर्फ लवकुश यादव** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप व्यक्तिगत मुचलका और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक इस आशय का एक वचन पत्र दायर करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि को कोई स्थगन नहीं मांगेगा। इस शर्त की चूक के मामले में, विचारण न्यायालय के लिए इसे जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार आदेश पारित किया जाएगा।

(ii) आवेदक व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से निर्धारित प्रत्येक तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा। उसकी अनुपस्थिति के मामले में, पर्याप्त कारण

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के बिना, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क/269बीएनएस के तहत कार्रवाई कर सकता है।

(iii) यदि आवेदक मुकदमे के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और धारा 82 द.प्र.सं./84 बीएनएसएस के तहत अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उद्घोषणा जारी की जा सकती है और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तारीख को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ धारा 174-ए भा.दं.सं./धारा 269 बीएनएस के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक (1) मामले की सुनवाई, (2) आरोप तय करने और (3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313/351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारण न्यायालय के लिए इस तरह की चूक को जमानत की स्वतंत्रता के दुरुपयोग के रूप में माना जाएगा और कानून के अनुसार उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

17. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

18. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश को प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

18 जून 2026

राधिका

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।